अंतिम विनियम

मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग
ऊर्जा भवन, शिवाजी नगर, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 जुलाई, 04

क्रमांक 1902 – विनिआ – 04. संसद द्वारा अधिनियमित विद्युत अधिनियम 2003 (क्र. 36 वर्ष 2003) की धारा 181 (1) एवं 181 (2) (Za) एवं (Zb) सहपठित धारा 57 (1), 57 (2) एवं 86 (1) (i) धारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद द्वारा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (वितरण अनुपालन मानदण्ड) विनियम 2004 बनाया गया है, अर्थात् –

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (वितरण अनुपालन मानदण्ड) विनियम, 2004

अ.1 संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ

1.1 यह विनियम ''मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (वितरण अनुपालन मानदण्ड) विनियम 2004'' कहा जाएगा ।

1.2 यह विनियम मध्य प्रदेश राज्य में विद्युत के वितरण या व्यापार में संलग्न सभी अनुज्ञप्तिधारियों पर लागू होगा।

1.3 इस विनियम का विस्तार सम्पूर्ण मध्य प्रदेश राज्य होगा।

1.4 यह उसी दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसको इनका प्रकाशन मध्य प्रदेश राज्य पत्र में होगा।

अ.2 परिभाषाएँ

जब तक संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो इन मानदण्ड में –

(ए) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत विद्युत अधिनियम 2003 (केन्द्रीय अधिनियम 2003 का क्रमांक 36)

(बी) ''प्रदाय का क्षेत्र'' से अभिप्रेत है क्षेत्र जिसमें अनुज्ञप्तिधारी अपनी अनुज्ञप्ति द्वारा विद्युत प्रदाय हेतु अधिकृत हो।

(सी) ''उपयोग '' से अभिप्रेत है मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग।

(डी) ''उपभोक्ता'' से अभिप्रेत है (ऐसा व्यक्ति– जिसको इस अधिनियम या तत्समय प्रचलित (प्रवृत्त) किसी अन्य विधि के अधीन पब्लिक को विद्युत प्रदाय के कारोबार

में लगे हुए लायसेन्सी (अनुज्ञप्तिधारी) या सरकार द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसके स्वयं के उपभोग के लिये विद्युत प्रदाय की जाती है और इसमें ऐसा व्यक्ति सम्मिलित है जिसमें लायसेन्सी सरकार या यथास्थिति, अन्य व्यक्ति के कारोबार में जिसके परिसरों (गृह, भूमि) को तत्समय विद्युत प्राप्ति के लिए जोड़ा गया है।

(ई) ''वितरण संहिता'' से अभिप्रेत है मध्य प्रदेश राज्य में उपयोग हेतु वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के लिए विनिर्दिष्ट मध्य प्रदेश विद्युत वितरण संहिता।

(एफ) ''वितरण अनुज्ञप्तिधारी'' से अभिप्रेत है ऐसा अनुज्ञप्तिधारी जो अपने प्रदाय के क्षेत्र में उपभोक्ताओं को विद्युत प्रदाय के लिए वितरण प्रणाली को बनाए रखने और परिपालन के लिए प्राधिकृत हो ; इसमें सम्मिलित है, अधिनियम की धारा 131 के प्रावधानों के अन्तर्गत मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल तथा उसकी कोई उतराधिकारी इकाई ।

(जी) ''वितरण प्रणाली'' से अभिप्रेत है तारों की प्रणाली से है और जो पारेषण लाइनों के डिलेवरी प्वाइन्ट के बीच या उत्पादन स्टेशन कनेक्शन और उपभोक्ताओं के अधिष्ठान के कनेक्शन के प्वाइन्ट के बीच सुविधाएँ बनाने के लिये सहयुक्त हैं।

(एच) ''ई.एच.वी/ई.एच.टी'' से अभिप्रेत अतिरिक्त उच्च वोल्टेज/अतिरिक्त उच्च दा0 (वोल्टेज स्तर 33000 वोल्ट से अधिक)

(आई) ''विद्युत प्रदाय संहिता'' से अभिप्रेत है आयोग द्वारा अनुमोदित मध्य प्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2004

(जे) ''ग्रिड संहिता'' से अभिप्रेत है सिद्धान्तों एवं दिशा निर्देशों का संयूत जो अधिनियम की धारा 86 (1) (एच) के अनुसरण में बनाया गया हो ।

(के) '' एच.वी/एच.टी '' से अभिप्रेत उच्च वोल्टेज/उच्च दाव (वोल्टेज स्तर 650 से अधिक किन्तु 33000 वाट से अनाधिक)

(एल) ''आई.ई.जी.सी.'' से अभिप्रेत है केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता तथा इसमें सम्मिलित है अधिनियम की धारा 79 उपधारा (1) के अनुच्छेद (एच) के अंतर्गत केन्द्रीय आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट कोई ग्रिड संहिता।

(एम) ''अनुज्ञप्तिधारी'' से अभिप्रेत है अधिनियम के अन्तर्गत आयोग द्वारा अनुज्ञप्ति प्राप्त व्यक्ति जिसमें शामिल है अधिनियम की धारा 131 के अर्न्तगत मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल या उसकी उत्तराधिकारी इकाई।

(एन) ''एल.टी'' से अभिप्रेत है निम्न दाब (सामान्य स्थितियों में वोल्टेज 650 वोल्ट से अनाधिक हो)

(ओ) ''एम.पी.एम.ई.बी.'' से अभिप्रेत मध्य प्रदेश शासन द्वारा विद्युत (प्रदाय) अधिनियम 1948 की धारा 5 के अन्तर्गत गठित मण्डल। शब्द एम.पी.एम.ई.बी में सम्मिलित है अधिनियम की धारा 131 के अनुपालन में गठित उसकी कोई उत्तरदाधिकारी इकाई।

(पी) ''मध्य प्रदेश अधिनियम'' से अभिप्रेत है मध्य प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम 2000 (क्रमांक 4 वर्ष 2001)

(क्यू) ''नियम'' से अभिप्रेत है भारतीय विद्युत नियम 1956 एवं/या अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गये कोई अन्य नियम ।

(आर) ''एस.एल.डी.सी.'' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 31 उपधारा (1) के अन्तर्गत स्थापित केन्द्र जिसमें शामिल है राज्य में पूर्व से कार्यरत राज्य भार प्रेषण केन्द्र जिसका नियंत्रण केन्द्र जबलपुर में है तथा जो राज्य में विद्युत प्रणाली के सुसंगठित संचालन को सुनिश्चित करने हेतु सर्वोच्च संस्था है।

(एस) ''राज्य प्रेषण प्रणाली'' से अभिप्रेत अतिरिक्त उच्च वोल्टेज विद्युत लाइनों तथा विद्युत उपकरणों की प्रणाली जो पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उत्पादन केन्द्रों के साथ विद्युत पारेषण, अन्तर संयोजन, वितरण प्रणाली या उससे संबंधित अन्य कोई उपभोक्ता हेतु संचालित एवं / या संधारित की जाती हो।

(टी) ''राज्य पारेषण इकाई'' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा इस रूप में विनिर्दिष्ट मण्डल या सरकारी कम्पनी इसमें सम्मिलित है इकाई जैसे मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा भारतीय विद्युत अधिनियम 1910 यथा सम्मिलित वर्ष 1998 की धारा 27 (ब) उपधारा (1) द्वारा (1) द्वारा अधिसूचित किया गया तथा जिसके कार्यों को ; विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 39 उपधारा (1) तथा विद्युत प्रदाय अधिनियम 1948 की धारा 55 में जारी संशोधन वर्ष 1998, में रेखांकित किया गया है। राज्य प्रेषण इकाई राज्य में पारेषण प्रणाली की स्वासी तथा संचालक होगी।

(यू) ''उपयोगकर्ता'' से अभिप्रेत है एक व्यक्ति जिसमें सम्मिलित है मध्य प्रदेश राज्य में उत्पादन कम्पनियॉ, वितरण अनुज्ञप्तिधारी तथा खुली पहुॅच वाले उपभोक्तागण जो

राज्य पारेषण प्रणाली का उपयोग करते हों तथा जो ग्रिड संहिता के प्रावधानों का परिपालन हेतु बाध्य हों।

2.2 प्रयुक्त शब्द एवं अभिव्यक्तियॉ जो यहॉ परिभाषित नहीं है, वही अर्थ रखेंगी जैसा कि विद्युत अधिनियम 2003, भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता, मध्य प्रदेश विद्युत ग्रिड संहिता तथा भारतीय विद्युत नियम 1956 में प्रयुक्त हैं।

अ.3 उद्देश्य

3.1 यह मानदण्ड अनुमति योग्य सीमाओं में वितरण प्रणाली के कुछ मुख्य वितरण तंत्र के मापक स्थापित करते हैं। यह मानदण्ड विद्युत अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपनी वितरण प्रणाली को विद्युत वितरण एवं फुटकर प्रदाय हेतु एक कुशल, विश्वसनीय, सुसंगटित प्रकार से संचालन हेतु सहायक है। अनुपालन मानदण्डों के निम्न उद्देश्य हैं।

(अ) यह सुनिश्चित करना कि वितरण प्रणाली अनुपालन एक न्यूनतम मानदण्ड की पूर्ति करता है जो उपयोगकर्ता को संस्थापना के उचित संचालन हेतु आवश्यक है।

(ब) जिस विद्युत वातावरण में उपयोगकर्ता संचालन करते हैं उसके अनुकूल प्रणालियों तथा उपकरणों को अभिकल्पित करने हेतु उपयोगकर्ता को सम बनाना ।

(स) वितरण प्रणाली तथा सेवाओं के मानदण्डों की गुणवत्ता में वृद्धि करना जो अल्पावधि में स्वीकार योग्य मानदण्डों की पूर्ति करे तथा क्रमशः दीर्घावधि मानदण्डों की और अग्रसर हो।

अ.4 विधिक प्रावधान

4.1 आयोग, अधिनियम की धारा 57 की सहपठित धारा 86 (1) (i) के प्रावधानों के परिपालन में, मध्य प्रदेश राज्य में वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के लिए ये मानदण्ड विनिर्दिष्ट करता है। यहॉ विनिर्दिष्ट अनुपालन के मानदण्डों का उद्देश्य वितरण अनुज्ञप्तिधारी को यह मार्गदर्शन देना है जिसमें कि वह अपने वितरण एवं प्रदाय व्यापार की सेवाओं को गुणवत्ता, निरन्तरता एवं विश्वसनीयता प्रदान कर सके।

4.2 अधिनियम की धारा 57 (1) यह अवधारित करती है कि आयोग, अनुज्ञप्तिधारियों तथा संभवतः प्रमाणित होने वाले व्यक्तियों से परामर्श के उपरान्त, अनुज्ञप्तिधारी या अनुज्ञप्तिधारियों के एक वर्ग के लिए अनुपालन के मानदण्ड विनिर्दिष्ट करेगा।

4.3 धारा 57 की उपधारा (2) यह उपबन्धित करती है कि यदि कोई अनुज्ञप्तिधारी उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट मानदण्डों के अनुपालन में असफल रहे तो, दण्ड की पूर्व धारणा के बिना जो अधिरोपित किया जा सकता हो, या अभियोजन की कार्यवाही को पूर्वधारणा के बिना, वह

ऐसे प्रभावित व्यक्ति को ऐसी क्षतिपूर्ति राशि देने हेतु उत्तरदायी होगा जो समुचित आयोग द्वारा निश्चित की जावे।

यद्यपि क्षतिपूर्ति राशि के निर्धारण के पूर्व सबंधित अनुज्ञप्तिधारी को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जावेगा।

4.4 धारा 86 (1) के प्रावधानों के अन्तर्गत आयोग से यह अपेक्षित है कि वह मानदण्डों को विनिर्दिष्ट तथा क्रियान्वित करे जिनका समन्वय अनुज्ञप्तिधारी की सेवाओं की गुणवत्ता, निरन्तरता तथा विश्वसनीयता से है।

4.5 अधिनियम की धारा 59 अनुपालन के स्तर की जानकारी को प्रावधानित करती है। यह इन विनियमों में अनुपालन मानदण्ड पर जानकारी (देखें अनुच्छेद अ 7) के रूप में सम्मिलित है। यह अधिनियम की धारा 59 (2) के अन्तर्गत वार्षिक प्रतिवेदन का प्रकाशन एवं अनुपालन मानदण्ड पर त्रैमासिक प्रतिवेदन के रूप में शामिल है।

4.6 अनुपालन मानदण्डों का परिपालन तथा प्रभावित पक्ष को क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान 'क्षतिपूर्ति' का दाबा एवं अनुसूची II एवं III में सम्मिलित है। दाण्डिक तथा अभियोजन के प्रावधान अधिनियम की धारा 142 के अनुसार है।

4.7 अतः आयोग, अधिनियम की धारा 181 (1) एवं 181 (2) (Za) एवं (Zb) के अन्तर्गत वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के लिए अनुपालन के इन मानदण्डों को विनियमों के रूप में जारी करना प्रस्तावित करता है।

अ.5 क्रियान्वयन प्रक्रिया

5.1 इन मानदण्डों की अधिसूचना के पश्चात् एक वर्ष की समयावधि में भी अनुज्ञप्तिधारी अनुसूची 1 में वर्णित सभी मानदण्डों से बाध्य होगा। अनुज्ञप्तिधारी को इस अवधि में समस्त प्रयत्न कर अपनी प्रणाली में सुधार कर दण्ड से बचना चाहिए। इन मानदण्डों की अधिसूचना के एक वर्ष के भीतर की समयावधि में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ताओं को क्षतिपूर्ति के भुगतान न करने हेतु आयोग समय प्रदान करता है। आयोग निरन्तर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इस चरण में प्रणाली तथा सेवाओं के सुधार के प्रयासों का पर्यवेक्षण करेगा। आयोग अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा उनके अनुपालन प्रतिवेदन का प्रकाशन करेगा। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आयोग को प्रतिवेदन भेजे नहीं जाने पर आयोग द्वारा दण्ड दिया जा सकता है।

5.2 अनुसूची II एवं III में विनिर्दिष्ट क्षतिपूर्ति ऐसे उपभोक्ता को केवल ऐसे प्रकरणों में देय होगी जहॉ ऐसे उपभोक्ता ने अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जारी अंतिम राशि के देयक का पूर्ण

भुगतान कर दिया हो । जिन प्रकरणों में अंतिम देयक राशि विवादास्पद हो उपभोक्ता क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का पात्र तब ही होगा जब उसने मध्य प्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2004 में विनिर्दिष्ट आवश्यक कदम उठा लिए हों।

5.3 अनुज्ञप्तिधारी क्षतिपूर्ति के भुगतान हेतु उत्तरदायी नहीं होगा यदि परिसर की पहुंच विहीनता के कारण उपभोक्ता को विहित सेवा देने में विलम्ब हुआ हो तथा अनुज्ञप्तिधारी यह सिद्ध करे कि उसने मध्य प्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2004 में निहित प्रक्रिया के अनुसार उपभोक्ता को समुचित सूचना पत्र दिया था।

5.4 अनुज्ञप्तिधारी उन विनियमों में विनिर्दिष्ट अनुपालन मानदण्डों पर त्रैमासिक पालन प्रतिवेदन उपलब्ध करायेगा।

अ.6 अनुपालन के प्रत्याभूतित एवं सम्पूर्ण मानदण्ड

6.1 अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट मानदण्ड अनुपालन के प्रत्याभूतित मानदण्ड होंगे तथा ये सेवा के न्यूनतम मानदण्ड होंगे जो अनुज्ञप्तिधारी पूर्ण करेगा एवं अनुसूची 4 में विनिर्दिष्ट मानदण्ड अनुपालन के सम्पूर्ण मानदण्ड होंगे जो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उसके दायित्वों के निर्वहन में पूर्ण किये जावेंगे।

अ.7 अनुपालन मानदण्ड पर जानकारी

7.1 प्रत्याभूतित मानदण्डों के संबंध में प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी आयोग को, त्रैमासिक प्रतिवेदन में तथा एकजाई वार्षिक प्रतिवेदन में निम्न जानकारी देगा।

(अ) इन विनियमों की अनुसूची–1 में विनिर्दिष्ट के संदर्भ में निम्नांकित बिन्दुओं पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्राप्त अनुपालन के स्तर (अनुसूची V),

i किसी भी त्रिमास में अनुसूची–1 के अंतर्गत किसी विशेष घटनाक्रम के घटित होने की संख्या।

ii ऐसे प्रकरणों की संख्या जिसमें उपरोक्त घटना के निराकरण को मानदण्डों की निर्धारित सीमा में प्राप्त कर लिया गया।

iii ऐसे प्रकरणों की संख्या जिसमें उपरोक्त घटना के निराकरण को मानदण्डों की निर्धारित सीमा में प्राप्त नहीं किया जा सका।

iv मानदण्डों के पालन नहीं होने से प्रभावित उपभोक्ताओं की संख्या।

v उन प्रकरणों की संख्या जिसमें क्षतिपूर्ति प्रदान की गई एवं क्षतिपूर्ति राशि का योग।

vi प्रत्याभूतित मानदण्डों के क्षेत्र में अनुपालन सुधार हेतु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किए गये उपाय तथा आगामी वर्ष के लिए अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुमानित लक्ष्य

(ब) विद्युत देयकों की बकाया राशि का भुगतान न करने पर हुई विद्युत संयोजनों के विच्छेदन की कार्यवाही (विद्युत अधिनियम की धारा 56) की जानकारी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आयोग को अनुसूची–1 के उपबंध (एफ) में वर्णित अनुसार प्रेषित की जावेगी। इस जानकारी में ऐसे सभी उपभोक्ताओं, उनकी श्रेणीवार प्रतिशत विद्युत विच्छेदन दर्शाया जावेगा जिनपर छह माह से ऊपर एवं एक वर्ष से ऊपर की बकाया राशि है।

7.2 सम्पूर्ण मानदण्ड के लिए प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी आयोग को हर त्रैमासिक प्रतिवेदन में तथा एकजाई वार्षिक प्रतिवेदन में निम्न जानकारी देगा।

(अ) उन विनियमों की अनुसूची V में विनिर्दिष्ट के सन्दर्भ में प्राप्त अनुपालन के स्तर

(ब) सम्पूर्ण अनुपालन मानदण्डों के क्षेत्र में अनुपालन में सुधार हेतु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किए गये उपाय तथा आगामी वर्ष हेतु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुमानित लक्ष्य।

7.3 किसी जानकारी को जमा करने की समयावधि प्रत्येक प्रारूप पर उल्लेखित है। इस विनियम के लिए किसी त्रिमास से अभिप्राय निम्न है –

(अ)	प्रथम त्रिमास	:	अप्रेल से जून।
(ब)	द्वितीय त्रिमास	:	जुलाई से सितम्बर।
(स)	तृतीय त्रिमास	:	अक्टूबर से दिसम्बर।
(द)	चतुर्थ त्रिमास	:	जनवरी से मार्च।

प्रत्येक प्रतिवेदन के जमा करने की अंतिम तिथि उस दिनांक से तीस दिवस होगी जिस दिनांक तक का प्रतिवेदन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा भेजा जा रहा है।

7.4 इन विनियमों के अन्तर्गत अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत जानकारी आयोग, ऐसे अन्तराल पर जैसा उचित समझे, प्रकाशन की व्यवस्था करेगा।

अनुज्ञप्तिधारी द्वारा संधारित की जाने वाली पंजियॉ

7.5 अनुज्ञप्तिधारी संबंधित कम्पनियों में प्राप्त शिकायती आवेदन पत्रों का विवरण अनुसूची 10 में विहित प्रारूपों में संधारित करेगा। संबंधित कार्यालय के प्रभारी अधिकारी उनके प्रतिवेदक अधिकारियों को अनुसूची 11 में विहित प्रारूपों में अपवाद प्रतिवेदन भेजेंगे।

अ.8 विविध

अपवाद

8.1 इन विनियमों में विनिर्दिष्ट अनुपालन के मानदण्ड नियंत्रण से बाहर की घटना,(अपरिहार्य घटना) जैसे युद्ध, विद्रोह, गृह युद्ध, दंगा, आतंकवादी हमला, बाढ़, तूफान, बिजली, भूकम्प, एवं अन्य शान्तियां तथा हड़ताल नाकेबन्दी, आगजनी जिसमें अनुज्ञप्तिधारी की संस्थापना एवं प्रतिविधियॉ प्रभावित हो, होने की स्थिति में स्थगित रहेंगे। ऐसी समस्त घटनाओं की सूचना, प्रथम घटना के 30 दिवस की अवधि में आयोग को दी जावे।

8.2 आयोग सामान्य या विशिष्ट आदेश द्वारा जो इस हेतु जारी किया गया हो अनुज्ञप्तिधारी तथा प्रभावित उपभोक्ता समूह को सुनने के पश्चात् किसी ऐसे अनुपालन मापदण्ड की त्रुटि हेतु, यदि आयोग संतुष्ठ हो कि त्रुटि जिस कारणों से हुई है जिनके लिए अनुज्ञप्तिधारी उत्तरदायी नहीं है एवं अनुज्ञप्तिधारी ने अन्यथा अपने दायित्वों की पूर्ति के लिए प्रयास किया है, अनुज्ञप्तिधारी को क्षतिपूर्ति के दायित्व से मुक्त कर सकेगा।

आदेशों तथा कार्यकारी निर्देशों का प्रसारण

8.3 विद्युत अधिनियम 2003 (क्रं.36 वर्ष 2003) एवं इन विनियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत, आयोग समय–समय पर विनियमों के क्रियान्वयन तथा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं के संबंध में आदेश तथा कार्यकारी निर्देश जारी कर सकेगा।

कठिनाइयॉ दूर करने की शक्ति

8.4 यदि इन विनियमों के उपबन्धों को प्रभावी बनाने के लिए कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो आयोग सामान्य या विशेष आदेश द्वारा ऐसे कदम उठाएगा या अनुज्ञप्तिधारी को ऐसे कार्यों के लिए निर्देशित करेगा जो आयोग की राय में कठिनाइयों को दूर करने के लिए आवश्यक हो।

संशोधन के अधिकार

8.5 आयोग किसी भी समय इन विनियमों के प्रावधानों में परिवर्धन, परिवर्तन, सुधार या संशोधन कर सकेगा।

व्यावृत्ति (**Savings**)

8.6 इन विनियमों में कुछ भी आयोग की अन्तयुक्त गल्तियों को, ऐसे आदेश जो न्याय हित में या आयोग की प्रक्रियाओं में दोषों को रोकने के लिए जारी करना आवश्यक हों, समिति या अन्यथा प्रभावित नहीं करेगा ।

8.7 इन विनियमों में कुछ भी आयोग को इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप, किसी विषय या विषयों के वर्ग की विशिष्ट परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए ; लिखित कारणों सहित, यदि आयोग आवश्यक व उचित समझें तो ऐसी प्रक्रिया अपनाने से नहीं रोकेगा जो इन विनियमों के किसी भी प्रावधान से अन्यथा हो ।

8.8 इन विनियमों में, विशिष्ट या अन्तर्गत कुछ भी आयोग को किसी विषय या अधिनियम के अन्तर्गत किसी अधिकार के उपयोग से नहीं रोकेगा जिसके लिए कोई विनियम नहीं बनाए गये हो तथा आयोग ऐसे विषयों अधिकारों तथा कार्यों को उस प्रकार से, जैसा वह उचित समझें, निवर्तित कर सकेगा ।

8.9 इन विनियमों में कुछ भी उपभोक्ताओं के इन अधिकारों तथा अधिमान्यताओं को प्रभावित नहीं करेगा जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 सहित अन्य विधियों द्वारा प्रदत्त हो ।

टीप :– इस **"वितरण अनुपालन मानदण्ड, विनियम 2004"** के हिन्दी रूपांतरण के प्रावधानों की व्याख्या या विवेचन या समझने की स्थिति में किसी प्रकार का विरोधाभास होने पर इसके अंग्रेजी संस्करण (मूल संस्करण) के संबंधित प्रावधानों में दी गई विवेचना के अनुसार ही उसका तात्पर्य माना जावेगा एवं इस संबंध में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयोग का निर्णय अंतिम एवं बाध्य होगा ।

अनुसूची–1

अनुपालन के प्रत्याभूतित मानदण्ड

सामान्य सेवा मानदण्ड

(अ) विद्युत प्रदाय की पुर्नस्थापन

1. सामान्य फ्यूज–आफ काल्स (हार्न गेप (HG) फ्यूजेज या निम्न दाव (LT) फ्यूजेज जो वितरण ट्रांसफार्म पर या उपभोक्ता के परिसर में हो) उस अवधि में जो अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट है, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत प्रदाय पुर्नस्थापित किया जावेगा। उपभोक्ता परिसर में व्यक्तिगत फ्यूज आफ काल जबकि दोष की प्रवृत्ति ऐसी हों जिसके परिणाम स्वरूप विद्युत प्रदाय अबरूद्ध करना पड़े जिससे अन्य उपभोक्ता भी प्रभावित हों उन्हें, आवश्यक सेवाऐं जैसे जल प्रदाय, चिकित्सालय आदि पर अन्य महत्वपूर्ण शासकीय सेवाएं या उन प्रकरणों में जो विद्युत प्रदाय की दृष्टि से अन्यथा अति महत्वपूर्ण हो, को छोड़कर संध्या 6 बजे से प्रातः 8 बजे के बीच दुरूस्त नहीं किया जावेगा।

2. लाइन अवरोध की स्थिति में अनुज्ञप्तिधारी विद्युत प्रदाय का पुर्नस्थापन ऐसी अवधि में सुनिश्चित करेगा जो अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट है।

3. वितरण ट्रान्सफार्मर्स असफलता (ट्रांसफार्मर फेलयूर)

   अनुज्ञप्तिधारी वितरण ट्रान्फार्मर्स की असफलता (ट्रांसफार्मर फेलयूर) की स्थिति में नगरीय क्षेत्रों में 12 घंटे तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 48 घन्टे में वैकल्पिक व्यवस्था द्वारा विद्युत पुर्नस्थापित करेगा तदुपरान्त अनुसूची II में विनिर्दिष्ट समयावधि में ट्रान्सफार्मर प्रतिस्थापन की व्यवस्था करेगा।

4. नियत अवरोध की अवधि–

   नियत अवरोध के कारण विद्युत प्रदाय एक घंटे से अधिक की अवधि के लिए बन्द होने पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कम से कम 24 घंटे पूर्व अधिसूचित किया जावेगा तथा अनुसूची II में वर्णित समयावधि से अधिक नहीं होगी। ऐसी प्रत्येक घटना में अनुज्ञप्तिधारी समस्त प्रकरणों में विलम्ब की अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर जहां विद्युत प्रदाय 8 बजे रात्री तक पुर्नस्थापित कर दिया जावेगा, यह सुनिश्चित करेगा कि विद्युत प्रदाय संस्था 6 बजे तक पुर्नस्थापित हो जावे। अनुज्ञप्तिधारी ऐसे समस्त प्रकरण आयोग को प्रतिवेदित करेगा जहॉ नियत अवरोध 6 बजे संध्या से अधिक हों। ऐसे प्रतिवेदन पर्याप्त विवरण सहित कारणों के स्पष्टीकरण के साथ होगा।

(ब) गतिमापकों (मीटर्स) विषयक शिकायतें

5. अनुज्ञप्तिधारी गतिमापकों की शुद्धता की, अनुसूची II में विनिर्दिष्ट समयावधि में निरीक्षण एवं जांच करेगा। यदि गतिमापक कार्य न कर रहा हो (छेड़ा हुआ हो, धीमे/तेज या रेंगता हुआ हो) अनुज्ञप्तिधारी ऐसे गतिमापक को अनुसूची II में विनिर्दिष्ट समयावधि में प्रतिस्थापित करेगा। अनुज्ञप्तिधारी अनुसूची II में नियत प्रारूप में जानकारी देगा।

6. अनुज्ञप्तिधारी जले हुए गतिमापकों को अनुसूची II में विनिर्दिष्ट समयावधि में प्रतिस्थापित करेगा यदि गतिमापक जलने का दायित्व उपभोक्ता पर न हो जैसे गतिमापक को दूषित करना, उपभोक्ता की संस्थापना में दोष, गतिमापक गीला हो जाना, उपभोक्ता द्वारा अनाधिकृत अतिरिक्त भार संयोजन, आदि। यदि गतिमापक के जलने का दायित्व उपभोक्ता पर हो तो अनुज्ञप्तिधारी जानकारी के 7 दिवस की अवधि में गतिमापक लागत की वसूली हेतु उपभोक्ता को एक सूचना पत्र जारी करेगा तथा अनुसूची II में विनिर्दिष्ट समय सीमा में गतिमापक प्रतिस्थापित करेगा।

7. अनुज्ञप्तिधारी ऐसी समयावधि में जो विद्युत प्रदाय संहिता के ''गतिमापकों'' खण्ड में वर्णित है गतिमापकों की जांच करेगा। (वर्णित संदर्भ हेतु स्थापित कंडिका नीचे दी गई है।

अनुज्ञप्तिधारी गतिमापकों का समयावधिक निरीक्षण परीक्षण निम्न अनुसूची अनुसार करेगा :

(अ)	एक फेज गतिमापक	कम से कम 5 वर्ष में एक बार
(ब)	निम्न दाब 3 फेज गतिमापक	कम से कम प्रत्येक 3 वर्ष में एक बार
(स)	उच्च दाव गतिमापक, एम.डी.आई सहित	कम से कम एक वर्ष में एक बार

जहॉ व्यवहार साध्य हो सी.टी. तथा पी.टी. की जांच भी गतिमापकों के साथ की जावे।

अनुज्ञप्तिधारी इस विषय में प्रगति प्रतिवेदन अनुसूची VI एवं VII में नियत प्रारूप में देगा।

(स) नवीन संयोजन/अतिरिक्त भार हेतु आवेदन

8. समस्त प्रकरणों में यह मध्य प्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता दस्तावेज में दर्शाए अनुसार निम्न प्रकार से विनिर्दिष्ट होंगे :–

अनुक्रमांक	अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सेवाएँ	सेवा प्रदाय हेतु समय सीमा
1	**<u>निम्नदाब संयोजन</u>**	
(अ)	पूर्ण आवेदन प्राप्त होने पर निरीक्षण सूचना	3 कार्यकारी दिवस

(ब)	सूचना पत्र भेजने के उपरान्त निरीक्षण (ए) नगरीय क्षेत्र (बी) ग्रामीण क्षेत्र	 5 कार्यकारी दिवस 10 दिवस
(स)	मांग पत्र जारी होना (i) प्राक्कलन की राशि भुगतान हेतु आवेदक को : (यदि संयोजन वर्तमान नेटवर्क से दिया जाता हो तथा विस्तार कार्य अपेक्षित न हो। (सी) नगरीय क्षेत्र (डी) ग्रामीण क्षेत्र (ii) प्राक्कलन की राशि के भुगतान हेतु आवेदक को (यदि विस्तार कार्य या ट्रान्फार्मर क्षमता में वृद्धि अपेक्षित हो : (ई) नगरीय क्षेत्र (एफ) ग्रामीण क्षेत्र	 3 कार्यकारी दिवस 3 कार्यकारी दिवस 15 कार्यकारी दिवस 30 दिवस
(द)	विद्युत उपलब्धता सूचना पत्र प्रदाय करने हेतु उन क्षेत्रों में प्रदाय आरंभ की सूचना जहां अनुज्ञप्तिधारी की वितरण प्रणाली स्थित हो (i) प्राक्कलन राशि के भुगतान उपरान्त (यदि संयोजन वतमान नेटवर्क से अपेक्षित है) (जी) नगरीय क्षेत्र (एच) ग्रामीण क्षेत्र (ii) आवश्यक प्रयोग के भुगतान उपरान्त (यदि विस्तार कार्य तथा ट्रान्सफार्मर क्षमता में वृद्धि अपेक्षित हो) (आई) समस्त संयोजन कृषि को छोड़कर (जे) ऐसे मौसम में कृषि संयोजन जब खेतों तक साफ पहुंच उपलब्ध हो । (के) ऐसे मौसम में कृषि संयोजन जब खेतों	 10 कार्यकारी दिवस 14 कार्यकारी दिवस 60 दिवस 90 दिवस (यदि विस्तार की पूर्ण लागत का भुगतान कर दिया गया हो।

	तक साफ पहुंच उपलब्ध न हो।	180 दिवस (यदि विस्तार की पूर्ण लागत का भुगतान किया गया हो।
2	<u>उच्च दाव संयोजन</u>	
(अ)	आवेदन प्राप्ति उपरान्त संभाव्यता की सूचना	15 कार्य दिवस
(ब)	अनुमानित प्रभारों का मांग पत्र जारी करना (संभाव्यता की सूचना जारी होने के उपरान्त)	30 दिवस
(स)	विद्युत आपूर्ति आरंभ करने हेतु विद्युत उपलब्धता सूचना पत्र जारी करना/ अनुमानित प्रभारों की प्राप्ति उपरान्त, विद्युत निरीक्षक द्वारा अनापत्ति प्राप्त होने की शर्त पर, संयोजन स्वीकृति ।	
	(एल) यदि कोई विस्तार कर्ता अपेक्षित न हो	30 दिवस
	(एम) यदि 100 मीटर से अधिक दूरी का विस्तार कार्य अपेक्षित हो	90 दिवस
3.	<u>अतिरिक्त उच्च दाव संयोजन</u>	
(अ)	आवेदन प्राप्ति उपरान्त संभाव्यता की सूचना	15 कार्य दिवस
(ब)	अनुमानित प्रभारों का मांग पत्र जारी करना, संभाव्यता की सूचना जारी होने के उपरान्त	60 दिवस
(स)	विद्युत आपूर्ति आरंभ करने हेतु विद्युत उपलब्धता सूचना पत्र जारी करना/ अनुमानित प्रभारों की प्राप्ति उपरान्त संयोजन स्वीकृति	180 दिवस (क्योंकि लाइनों का विस्तार अपेक्षित होगा) (विद्युत निरीक्षक द्वारा अनापत्ति प्राप्त होने की शर्त पर)

(द) स्वामित्व का आवरण एवं सेवाओं का रूपान्तरता

9. अनुज्ञप्तिधारी निम्न दाव से उच्च दाव एवं यथाविलोम के स्वामित्व के अंतरण,, श्रेणी के परिवर्तन तथा वर्तमान सेवाओं के रूपान्तरण को अनुसूची II में विनिर्दिष्ट समयावधि में प्रभावशील करेगा ।

(अ)	(i) स्वामित्व अधिकार का अंतरण (ii) श्रेणी परिवर्तन	औपचारिकताएँ पूर्ण होने के 10 दिवस के अंदर।

(ब)	निम्न दाव एकल फेज से निम्न दाव 3 फेज एवं यथाविलोम या निम्न दाव से उच्च दाव श्रेणी एवं यथाविलोम रूपान्तरण ।	आवश्यक प्रभारों के भुगतान एवं उपभोक्ता द्वारा परीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की दिनांक से 30 दिवस के अंदर या, यदि लाइन विस्तार अपेक्षित हो तो 90 दिवस में

(क) उपभोक्ता देयकों के संबंध में शिकायतें

10. अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता की शिकायत की तत्काल अभिस्वीकृति देगा यदि वह व्यक्तिशः प्राप्त हुई हो तथा डाक से प्राप्त शिकायत की स्थिति में अभिस्वीकृति अगले कार्यकारी दिवस को जारी कर दी जावेगी। अनुज्ञप्तिधारी विद्युत देयकों से संबंधित शिकायतों का निराकरण, यदि कोई अतिरिक्त जानकारी का संग्रहण अपेक्षित न हो, प्राप्ति के दिन करेगा (उच्च दाव उपभोक्ताओं को छोड़कर जिनकी विवादास्पद देयक राशि रूपये 20,000/– से अधिक हो) यदि अतिरिक्त जानकारी अपेक्षित हो तो शिकायत नगरीय क्षेत्रों में 5 दिवस में तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 10 दिवस में निम्न प्रकरणों में निरकृत की जावेगी :

(अ) उच्च दाव उपभोक्ताओं जिन्हें अपने देयक पर विवाद हो तथा विवादित राशि (देयक की राशि का भाग जो विवादित है) रूपये 20,000/– से कम या समान हो,

(ब) निम्न दाव उपभोक्ता जिन्हें अपने देयक पर विवाद हो तथा विवादित राशि (देयक की राशि का भाग जो विवादित है) रूपये 20,000/– से कम या समान हो, ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जहां विवादित राशि गणितीय या लिपिकीय त्रुटि के कारण हो।

11. अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करेगा कि दो निरन्तर गतिमापक पठन चक्र के उपरान्त तैयार देयक न तो त्रुटिपूर्ण हैं न ही औसत पर आधारित हैं । यदि अनुज्ञप्तिधारी यह पाता है कि गतिमापक जब गतिमापक पाठक परिसर पहुंचे, पठन हेतु पहुंच से परे हैं तो वह मध्य प्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2004 में विनिर्दिष्ट आवश्यक कदम उठाएगा। इस विषय पर अनुज्ञप्तिधारी अनुसूची VIII एवं IX अनुसूची में नियत प्ररूपों में आयोग को जानकारी देगा।

(ख) विद्युत देयकों की बकाया राशि के भुगतान न होने पर विद्युत संयोजन का विच्छेदन (विद्युत अधिनियम की धारा 56)

12. अनुज्ञप्तिधारी का यह दायित्व होगा की वह देयकों की बकाया राशि की वसूली हेतु पूर्ण प्रयास करे एवं इस हेतु लेखे भी पूर्ण रखे। यदि कोई उपभोक्ता, अनुज्ञप्तिधारी के लगातार प्रयास के उपरांत भी छहः माह व्यतीत हो जाने पर भी विद्युत देयक की बकाया राशि का भुगतान नहीं करता है तो अनुज्ञप्तिधारी विद्युत अधिनियम की धारा 56 के परिपालन में विहित उसके अधिकारों का उपयोग करेगा।

13. अनुज्ञप्तिधारी विद्युत देयकों की बकाया राशि का भुगतान न करने वाले उपभोक्ताओं के विद्युत संयोजनों को विच्छेदित करने क दिशा में संतोषजनक स्तर का अनुपालन करेगा। वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक श्रेणी में ऐसे उपभोक्ताओं जिनका विद्युत विच्छेदन न किया जा सका, का प्रतिशत निम्न स्तर से अधिक न हो :–

क्र.	उपभोक्ता की श्रेणी	छहः माह से ऊपर की बकाया राशि का भुगतान न करने वाले उपभोक्ताओं जिनका विद्युत विच्छेदन न किया जा सका का अधिकतम प्रतिशत	एक वर्ष से ऊपर
1 (अ)	निम्नदाब घरेलू 2 किलो वाट (संविदा भार)से अधिक।	5 प्रतिशत	1 प्रतिशत
1 (ब)	निम्नदाब घरेलू 2 किलो वाट (संविदा भार) से कम।	20 प्रतिशत	5 प्रतिशत
2	निम्नदाब गैर घरेलू	5 प्रतिशत	1 प्रतिशत
3	निम्नदाब कृषि	50 प्रतिशत	10 प्रतिशत
4	निम्नदाब नगर निगम एवं स्थानीय निकाय	20 प्रतिशत	5 प्रतिशत
5	अन्य निम्नदाब (औद्योगिक)	5 प्रतिशत	1 प्रतिशत
6	उच्चदाब (शासकीय संस्थानों को मिलाकर)	20 प्रतिशत	5 प्रतिशत

जैसा कि उपरोक्त मानक मानदण्ड में किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति देय नहीं है परन्तु अनुज्ञप्तिधारी का राजस्व उसके टैरिफ निर्धारण की प्रक्रिया के दौरान घटाया जा सकता है।

(ग) देयकों के भुगतान न किए जाने पर असंयोजित संयोजनों का पुर्नसंयोजन।

14. अनुज्ञप्तिधारी, एक उपभोक्ता को, जिसका प्रदाय विद्युत देयकों के भुगतान के अभाव में असंयोजित कर दिया गया हो, विद्युत प्रदाय ऐसी अनुसूची II में विनिर्दिष्ट समयावधि में बहाल करेगा।

तकनीकी मानदण्ड

विद्युत प्रदाय की गुणवत्ता

(अ) . वोल्टेज परिवर्तन

15 (अ) अनुज्ञप्तिधारी वोल्टेज घोषित वोल्टेज के संदर्भ में निम्न उल्लेखित सीमाओं में उस बिन्दु पर बनाए रखेगा जो किसी उपभोक्ता को प्रदाय का प्रारंभिक बिन्दु है :

(i) निम्न वोल्टेज की स्थिति में + 6% एवं – 6%

(ii) उच्चदाब उपभोक्ता की स्थिति में + 6 % –9 % ; एवं

(iii) अतिरिक्त उच्च वोल्टेज की स्थिति में : +10% एवं – 10% (400 कि.वा. की स्थिति में स्वीकृत वोल्टेज परिवर्तन + 5% एवं – 10% है)

उपर्युक्त मानदण्ड प्रयोजन में रहेंगे यदि वोल्टेज उपलब्धता पारेषण वितरण अन्तरमुखों पर विनिर्दिष्ट सीमा में है।

(ब) वोल्टेज परिवर्तन की शिकायत प्राप्त होने पर अनुज्ञप्तिधारी यह सत्यापित करेगा कि क्या वोल्टेज परिवर्तन उपर्युक्त उप अनुच्छेद (1) की सीमा से परे है तथा सुनिश्चित होने पर अनुज्ञप्तिधारी शिकायत का निराकरण अनुसूची III में विनिर्दिष्ट समय सीमा में करेगा।

(ब) संगतता (हार्मोनिक्स)

16. अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करेगा कि उपभोक्ता संगतता की सीमाओं को विनिर्दिष्ट श्रेणी के अनुसार संधारित करते हैं ; समयावधि अनुसूची III में विनिर्दिष्ट है। इसका स्पष्टीकरण निम्नानुसार है :–

(अ) अतिरिक्त उच्च दाव उपभोक्ता

वोल्टेज में कुल संचयी संगतता विरूपण प्रत्येक उपभोक्ता हेतु जो 220 के.वी. तथा 132 के.व्ही. को संयोजित है, प्रदाय के प्रारंभिक बिन्दु पर 3% से सीमित होगा (मध्य प्रदेश विद्युत ग्रिड संहिता के अनुसार)

(ब) उच्च दाव उपभोक्ता :–

वोल्टेज में कुल संचयी संगतता निरूपण प्रत्येक उपभोक्ता हेतु जो 33 के.व्ही. तथा 11. के.व्ही. से संयोजित है, प्रदाय के प्रारंभिक बिन्दु पर 8% में सीमित होगा (मध्य प्रदेश विद्युत ग्रिड संहिता के अनुसार)

17. अनुज्ञप्तिधारी संगतता का पर्यवेक्षण नियमित मध्यान्तरों पर ऐसे महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर करेगा जिन्हें वह संगत वोल्टेज उतपदन में व्यक्त मानता हो तथा उपभोक्ताओं को विनिर्दिष्ट मानदण्डों के परिपालन हेतु कहेगा। अनुज्ञप्तिधारी किसी उपभोक्ता के उत्पादन संगतता के स्तरों की जांच, प्रभावित उपभोक्ता/ओं से शिकायत प्राप्त होने पर कर सकेगा तथा प्रतिपालन न होने की स्थिति में अनुज्ञप्तिधारी पूर्व सूचना देकर उपभोक्ता का प्रदाय असंयोजित कर सकेगा।

अनुज्ञप्तिधारी के अधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण

18. अनुज्ञप्तिधारी को उसके स्वयं के अधिकारियों द्वारा स्वयं के कार्यालयों तथा स्थापनाओं की नियमित निरीक्षण प्रक्रिया स्थापित करना चाहिए तथा परिपालन करना चाहिए । निरीक्षण टीप संबंधित प्रतिवेदन अधिकारी को यथा प्रस्तुत की जाना चाहिए।

क्षतिपूर्ति का दावा

19. क्षतिपूर्ति के समस्त भुगतान वर्तमान, चालू एवं / या भविष्य के विद्युत प्रदाय देयकों के विरूद्ध समायोजन द्वारा किए जावेंगे।

20. विनिर्धारित क्षतिपूर्ति का भुगतान संबंधित अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ऐसे विनिर्धारण के 90 दिवस की अवधि में किया जावेगा (देखें अधिनियम की धारा 57 (3)

21. क्षतिपूर्ति के दावे निम्न प्रकार से निर्वाहित किए जावेंगे –

(अ) **स्वचालित** : भुगतान की यह प्रणाली अनुज्ञप्तिधारी से अपेक्षा करती है कि वह क्षतिपूर्ति शारी की गणना करेगा तथा प्रभावित उपभोक्ता को स्वतः किसी विशिष्ट मानदण्ड का परिपालन न होने पर भुगतान करेगा। क्षतिपूर्ति का निर्धारण प्रत्याभूतित अनुपालन मानदण्ड के विचलन के दिनांक से 30 दिवस की अवधि में किया जाना चाहिए।

(ब) **दावा प्रस्तुत करने पर :**

भुगतान की यह प्रणाली उपभोक्ता से अनुज्ञप्तिधारी के ध्यान में यह लाने की अपेक्षा करती है कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मानदण्ड का उल्लंघन किया गया है तथा तदनुसार वह क्षतिपूर्ति की मॉग अनुज्ञप्तिधारी से करेगा । क्षतिपूर्ति के दावे से 30 दिवस की अवधि में क्षतिपूर्ति राशि का निर्धारण किया जाना चाहिए।

अनुसूची – II

सामान्य सेवा मानदण्ड

दोषी होने पर प्रत्येक प्रकरण में, उपभोक्ता को देय क्षतिपूर्ति का स्तर तथा प्रत्याभूतित अनुपालन के मानदण्ड

सेवा क्षेत्र	मानदण्ड	प्रभावित उपभोक्ता को देय क्षतिपूर्ति	भुगतान का तरीका
1. सामान्य फ्यूज–आफ काल के निराकरण हेतु नगर तथा कस्बे ग्रामीण क्षेत्र	 4 घंटे में 24 घंटे में	अंतिम भुगतान किये गये विद्युत देयक की राशि का 2 प्रतिशत बराबर परन्तु 50 रू. से अनाधिक, त्रुटि के प्रत्येक प्रकरण में ।	स्वचालित (उपबंध 21 (अ) अनुसूची – I)
2. लाइन अवरोध की पुर्नस्थापना (विद्युत पोल के किसी कारण से गिरने को छोड़कर) नगर तथा कस्बे ग्रामीण क्षेत्र	 दिन की रोशनी के 12 घंटे में तीन दिवस में	अतिम भुगतान किये गये विद्युत देयक की राशि का 2.5 प्रतिशत बराबर परन्तु रू. 50/– से अनाधिक प्रत्येक प्रभावित उपभोक्ता को ।	दावे से (उपबंध 21 (ब) अनुसूची – I)
3. वितरण ट्रान्सफार्मर्स में खराबी नगर तथा कस्बों में प्रतिस्थापन या विद्युत प्रदाय की पुर्नस्थापना ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिस्थापन या विद्युत प्रदाय की पुर्नस्थापना	एक दिवस में सात दिवस में	अतिम भुगतान किये गये विद्युत देयक की राशि का 2.5 प्रतिशत बराबर परन्तु रू. 50/– से अनाधिक प्रत्येक प्रभावित उपभोक्ता को ।	दावे से (उपबंध 21 (ब) अनुसूची – I)
4. नियत अवरोध अवधि एक बार में अधिकतम अवधि	12 घंटे से अनाधिक	अतिम भुगतान किये गये विद्युत देयक की राशि का 2.5 प्रतिशत बराबर परन्तु रू. 50/– से अनाधिक प्रत्येक प्रभावित उपभोक्ता को ।	दावे से (उपबंध 21 (ब) अनुसूची – I)

प्रदाय का पुर्नस्थापन	सायं 6.00 बजे तक (अनुसूची – 1 के उपबंध 4 के अनुसार)		दावे से (उपबंध 21 (ब) अनुसूची – I)
5. **<u>गतिमापक शिकायतें</u>** शुद्धता, निरीक्षण तथा जांच	7 दिवस में	अंतिम भुगतान किये गये विद्युत देयक की राशि का 1 प्रतिशत बराबर परन्तु रू. 50/– से अनाधिक त्रुटि के प्रत्येक प्रकरण में।	दावे से (उपबंध 21 (ब) अनुसूची – I)
धीमें, रेंगते या रूके हुए गतिमापकों का प्रतिस्थापन	ग्रामीण क्षेत्रों में 30 दिवस तथा नगरीय क्षेत्रों में 15 दिवस की अवधि में	अंतिम भुगतान किये गये विद्युत देयक की राशि का 1 प्रतिशत बराबर परन्तु रू. 50/– से अनाधिक त्रुटि के प्रत्येक प्रकरण में।	स्वचालित (उपबंध 21 (अ) अनुसूची – I)
जले हुए गतिमापकों का प्रतिस्थापन यदि कारण उपभोक्ता पर आरोपित न हो ।	शिकायत प्राप्ति के 7 दिवस की अवधि में	अंतिम भुगतान किये गये विद्युत देयक की राशि का 2 प्रतिशत बराबर परन्तु रू. 50/– से अनाधिक त्रुटि के प्रत्येक प्रकरण में।	स्वचालित (उपबंध 21 (अ) अनुसूची – I)
अन्य प्रकरणों में जले हुए गतिमापकों का प्रतिस्थापन	उपभोक्ता द्वारा प्रभारों के भुगतान के 7 दिवस की अवधि में	अंतिम भुगतान किये गये विद्युत देयक की राशि का 2 प्रतिशत बराबर परन्तु रू. 50/– से अनाधिक त्रुटि के प्रत्येक प्रकरण में।	स्वचालित (उपबंध 21 (अ) अनुसूची – I)
6. नवीन संयोजन हेतु आवेदन/अतिरिक्त भार/निम्न दाव प्रकरण में लक्ष्य से विचलन	(देखें अनुसूची I का अनुच्छेद 8)	प्रत्येक विलम्ब दिवस हेतु रू. 100/–	स्वचालित (उपबंध 21 (अ) अनुसूची – I)

उच्च दाव प्रकरण में लक्ष्य से विचलन	(देखें अनुसूची अनुच्छेद 8)	प्रत्येक विलम्ब दिवस हेतु रू. 200/–	स्वचालित (उपबंध 21 (अ) अनुसूची – I)
7. **<u>स्वामित्व अंतरण एवं श्रेणी परिवर्तन</u>**		अंतिम भुगतान किये गये विद्युत देयक की राशि का 3 प्रतिशत बराबर परन्तु रू. 100/– से अनाधिक प्रत्येक त्रुटि दिवस.	दावे से (उपबंध 21 (ब) अनुसूची – I)
स्वामित्व अधिकार का अंतरण	ऐसा रूपान्तरण औपचारिकताओं की		
श्रेणी परिवर्तन	पूर्णता के उपरान्त 10 दिवस में औपचारिकताओं की पूर्णता के उपरान्त 10 दिवस में	अंतिम भुगतान किये गये विद्युत देयक की राशि का 3 प्रतिशत बराबर परन्तु रू. 900/– से अनाधिक प्रत्येक त्रुटि दिवस.	दावे से (उपबंध 21 (ब) अनुसूची – I)
निम्न दाव एकल फेस से निम्न दाव तीन फेस एवं यथाविलोम रूपान्तरण	प्रभारों के भुगतान की दिनांक तथा परीक्षण प्रतिवेदन के जमा करने से 30 दिवस में । (यदि लाइन का विस्तार अपेक्षित हो तो 90 दिवस) में	अंतिम भुगतान किये गये विद्युत देयक की राशि का 3 प्रतिशत बराबर परन्तु रू. 100/– से अनाधिक प्रत्येक त्रुटि दिवस.	दावे से (उपबंध 21 (ब) अनुसूची – I)

8. उपभोक्ता के देयकों से संबंधित शिकायतों का निराकरण :–

यदि अतिरिक्त जानकारी अपेक्षित न हो ।	शिकायतों का निराकरण प्राप्ति के दिन (उच्च दाव उपभोक्ताओं को छोड़कर जहां विवाद राशि रू. 20,000/– से अधिक हो ।)	अंतिम भुगतान किये गये विद्युत देयक की राशि का 2 प्रतिशत बराबर परन्तु रू. 50/– से अनाधिक प्रत्येक त्रुटि दिवस.	स्वचालित (उपबंध 21 (अ) अनुसूची – I)
यदि अतिरिक्त जानकारी संग्रह की जाना हो तो ।	नगरीय क्षेत्रों में 5 दिवस में तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 10 दिवस में शिकायत प्राप्त होने के बाद ।	अंतिम भुगतान किये गये विद्युत देयक की राशि का 2 प्रतिशत बराबर परन्तु रू. 50/– से अनाधिक प्रत्येक त्रुटि दिवस.	स्वचालित (उपबंध 21 (अ) अनुसूची – I)
निरन्तर दो गतिमापक वाचन चक्र के बाद तैयार देयक या तो त्रुटिपूर्ण हों या औसत पर आधारित हो (ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जहां अनुज्ञप्तिधारी द्वारा गतिमापक को पहुंच विहीन पाया हो तथा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मध्य प्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता में विनिर्दिष्ट कदम उठा लिए हों	कोई नहीं	अंतिम भुगतान किये गये विद्युत देयक की राशि का 2 प्रतिशत बराबर परन्तु रू. 50/– से अनाधिक प्रत्येक त्रुटि दिवस.	स्वचालित (उपबंध 21 (अ) अनुसूची – I)
9. असंयोजन उपरान्त प्रदाय का पुर्नसंयोजन कस्बों तथा नगरों में ग्रामीण क्षेत्रों में	उपभोक्ता से भुगतान प्राप्ति के 4 घंटे में	अंतिम भुगतान किये गये विद्युत देयक की राशि का 0.5 प्रतिशत बराबर परन्तु रू. 50/–से अनाधिक प्रत्येक त्रुटि दिवस.	दावे से (उपबंध 21 (ब) अनुसूची – I)

	उपभोक्ता से भुगतान प्राप्ति के 48 घंटे में		

अनुसूची – III

तकनीकी मानदण्ड

अनुपालन के प्रत्याभूतित मानदण्ड एवं प्रति प्रकरण त्रुटि हेतु उपभोक्ताओं को देय क्षतिपूर्ति का स्तर

सेवा क्षेत्र	मानदण्ड	प्रभावित उपभोक्ता को देय क्षतिपूर्ति	भुगतान का तरीका
1. **वोल्टेज परिवर्तन** नेटवर्क में विस्तार/अभिवृद्धि अपेक्षित नहीं है तो,	10 दिन में	अंतिम भुगतान किये गये विद्युत देयक की राशि का 2 प्रतिशत बराबर परन्तु रू. 50/– से अनाधिक प्रत्येक त्रुटि दिवस.	दावे से (उपबंध 21 (ब) अनुसूची – I)
यदि वितरण प्रणाली का उच्च श्रेणीकरण अपेक्षित है, तो	180 दिन में या ऐसी लम्बी अवधि जैसे कि आयोग अनुमोदित करे	अंतिम भुगतान किये गये विद्युत देयक की राशि का 1 प्रतिशत बराबर परन्तु रू. 50/– से अनाधिक प्रत्येक त्रुटि दिवस.	दावे से (उपबंध 21 (ब) अनुसूची – I)
2. **संगतता (हार्मोनिक्स)** अतिरिक्त उच्च दाव संयोजन उच्च का संयोजन	प्रदाय के प्रारंभ बिन्दु के 3% से अनाधिक प्रदाय के आरंभ बिन्दु के 8% से अनाधिक ।	अंतिम भुगतान किये गये विद्युत देयक की राशि का 0.5 प्रतिशत बराबर परन्तु रू. 50/– से अनाधिक प्रत्येक त्रुटि दिवस ।	दावे से (उपबंध 21 (ब) अनुसूची – I)

अनुसूची– IV

अनुपालन के सम्पूर्ण मानदण्ड

1. सामान्य फ्यूज आफ काल :

अनुज्ञप्तिधारी अनुसूची I की उपकंडिका I में विहित समय–सीमा में फ्यूज ऑ काल्स सुधारने का प्रतिशत संधारित करेगा जो कुल प्राप्त काल्स का कम से कम 90% होगा।

2. लाइन अवरोध :

लाइन अवरोध की स्थिति में अनुज्ञप्तिधारी अनुसूची II में विनिर्दिष्ट समय सीमा में विद्युत प्रदाय का पुर्नस्थापन सम्मिलित करेगा। अनुज्ञप्तिधारी 90% प्रकरणों में इस अनुपालन मानदण्ड को प्राप्त करेगा।

3. वितरण ट्रान्फार्मर असफलताएँ :

अनुज्ञप्तिधारी असफल वितरण ट्रान्सफार्मर्स को अनुसूची II में विनिर्दिष्ट समय सीमा में प्रतिस्थापन का प्रतिशत संधारित करेगा जो 90% से कम नही होगा।

4. नियत अवधि अवरोध :

नियत अवधि अवरोध के कारण विद्युत प्रदाय में अवरोध पूर्ण से अधिसूचित किए जायेंगे तथा एक दिन में, अनुसूची II में विनिर्दिष्ट घंटो से अनाधिक होंगे तथा अनुज्ञप्तिधारी इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट समय सीमा में विद्युत प्रदाय का पुर्नस्थापन सुनिश्चित करेगा। अनुज्ञप्तिधारी इन दोनों अनुपालन मानदण्डों को 90% प्रकरणों में प्राप्त करेगा।

5. विश्वसनीयता मानक :

निम्नलिखित विश्वसनीयता/अवरोध फलक विद्युत एवं विद्युत यांत्रिकी अभियन्ता संस्थान (IEEE) मानदण्ड 1366 वर्ष 1998द्वारा विनिर्दिष्ट किये गये हैं। अनुज्ञप्तिधारी वर्ष 2002–2003 से इन मानकों की उपलब्धियों की गणना करेगा तथा प्रतिवेदन देगा।

(अ) **प्रणाली औसत अवरोध वारम्वारता सूचकांक (SAIFI)** अनुज्ञप्तिधारी अपनी उपलब्धियों की गणना निम्न विनिर्दिष्ट सूत्र एवं विधि से करेगा।

(ब) **प्रणाली औसत अवरोध समय सूचकांक (SAIFI):**
अनुज्ञप्तिधारी अपनी उपलब्धियों की गणना निम्न विनिर्दिष्ट सूत्र एवं विधि से करेगा।

(स) क्षणिक औसत अवरोध वारम्वारता सुचकांक (MAIFI)
अनुप्तिधारी अपनी उपलब्धियों की गणना निम्न विनिर्दिष्ट सूत्र एवं विधि से करेगा।

वितरण प्रणाली के विश्वसनीय मानकों की गणना विधि

मानकों की गणना, प्रदाय क्षेत्र में प्रति माह समस्त 11 के.व्ही. फीडर्स के एकत्रिकरण से, ऐसे फीडर्स को छोड़कर जो मुख्य रूप से कृषि भार हेतु सेवारत हो, पूर्ण वितरण प्रणाली हेतु की जावेगी, तदुपरान्त उस माह में प्रत्येक फीडर के समस्त अवरोधों की संख्या एवं अवधि संचित की जावेगी। मानकों की गणना निम्न सूत्रों का प्रयोग करते हुए की जाएगी :

$$SAIFI = \sum_{i=1}^{n} (Ai \times Ni) / Nt$$

यहॉ

Ai = सतत अवरोधों की कुल संख्या (प्रत्येक 5 मिनिट से अधिक) माह में i^{th} फीडर पर ।

Ni = i^{th} फीडर का अवरोधों के कारण प्रभावित संयोजित भार ।

M = अनुज्ञप्तिधारी के प्रदाय क्षेत्र में 11 के.व्ही. फीडर्स की संख्या (उन्हें छोड़कर जो मुख्य रूप से कृषि भार हेतु सेवारत हों)

$$SAIDI = \sum_{i=1}^{n} (Bi \times Ni) / Nt$$

यहॉ

Bi = सतत अवरोधों की कुछ अवधि (प्रत्येक 5 मिनिट से अधिक) माह में i^{th} फीडर पर

Ni = आई.टी.एच. फीडर का अवरोधों के कारण प्रभावित संयोजित भार

Nt = वितरण अनुज्ञप्तिधारी के प्रदाय क्षेत्र में 11 के.व्ही. पर कुल संयोजित भार

n = अनुज्ञप्तिधारी के प्रदाय क्षेत्र में 11 के.व्ही. क्षेत्र उसी की संख्या (उन्हें छोड़कर जो मुख्य रूप से कृषि भार हेतु सेवारत हो)

$$MAIFI = \sum_{i=1}^{n} (Ci \times Ni) / Nt$$

यहॉ

Ci = क्षणिक अवरोधों की कुल संख्या (5 मिनिट से कम या समान) i^{th} फीडर्स पर

Ni = i^{th} फीडर का अवरोधों के कारण प्रभावित संयोजित भार

Nt = वितरण अनुज्ञप्तिधारी के प्रदाय क्षेत्र में 11 के.व्ही. पर कुल संयोजित भार

n = अनुज्ञप्तिधारी के प्रदाय क्षेत्र में 11 के.व्ही. फीडर्स की संख्या (उन्हें छोड़कर जो मुख्य रूप से कृषि भार हेतु सेवारत हो)

टीप :

(अ) फीडर्स ग्रामीण एवं नगरीय मान से विभाजित किये जावें तथा मानकों का मूल्य प्रति माह पृथक से प्रतिवेदित किया जावे।

(ब) अनुज्ञप्तिधारी इन मानकों के मूल्य की गणना मुख्य रूप से कृषि भार हेतु सेवारत फीडर्स के लिए पृथक से करेगा। मानकों की गणना विधि अन्य फीडर्स के समान होगी।

(स) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर आयोग इन मानकों के वार्षिक लक्ष्य अधिसूचित करेगा।

6. **<u>आवृत्ति में उतार–चढ़ाव</u> :**

भारतीय विद्युत नियम 1956, जो वर्तमान में प्रभावशील है तथा जैसा कि समय समय पर संशेधित किया जावे, के अनुसार नामांकित आवृत्ति (50 हटर्ज) का + 3% उतार–चढ़ाव संधारित करने के प्रयास में अनुज्ञप्तिधारी नेटवर्क के अन्य प्रभागों जैसे राज्य पारेषण इकाई, राज्य भार प्रेषण केन्द्र, वितरण अनुज्ञाधारी तथा अन्य अनुज्ञाधारी से सहयोग लेगा। अनुज्ञप्तिधारी प्रदाय के उतार–चढ़ाव का प्रति घंटे माप कराएगा तथा नियत सीमा से अधिक प्रदाय के उतार–चढ़ाव को प्रतिवेदित करेगा।

7. **<u>वोल्टेज असन्तुलन</u>** :

अनुप्तिधारी यह सुनिश्चित करेगा कि वोल्टेज असन्तुलन प्रदाय के प्रारंभिक बिन्दु पर 3% से अनाधिक रहे। असन्तुलन की गणना आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट तरीके से या वितरण संहिता के एक भाग या वितरण संचालन के मानदण्ड के अनुसार की जावेगी।

8. **<u>पथ प्रकाश के दोष :</u>**

अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करेगा कि कम से कम 90 शिकायतों का समाधान विहित समय सीमा में हो जावे।

9. **<u>देयक त्रुटियॉ :</u>**

अनुज्ञप्तिधारी शिकायतों के कारण देयकों में आवश्यक सुधार हेतु देयकों का कुल जारी देयकों से प्रतिशत बनाए रखेगा जो 1% से अनाधिक हो।

10. **दोषपूर्ण गतिमापक** :

अनुज्ञप्तिधारी दोषपूर्ण गतिमापकों का सेवा में कुल गतिमापकों में प्रतिशत संधारित लगाए रखेगा जो ग्रमीण नगरीय क्षेत्र में 1.5% तथा ग्रामीण क्षेत्र में 3% से कम होगा।

अनुसूची – IV (ब)

सम्पूर्ण अनुपालन मानदण्ड की संक्षेपिका निम्न प्रकार है :

सेवा क्षेत्र	अनुपालन के सम्पूर्ण मानदण्ड
1. सामान्य फ्यूज आफ काल्स	कम से कम 95% नियत समयावधि में सुधारे जाना चाहिए
2. लाइन अवरोध	कम से कम 90% प्रकरणों का समाधान समय सीमा में होना चाहिए।
3. वितरण ट्रान्सफार्मर असफलताएँ	कम से कम 90% डी.टी.आर. विहित समय सीमा में प्रतिस्थापित होना चाहिए
4. नियत अवरोध की अवधि	
एक बार में अधिकतम अवधि	कम से कम 90% प्रकरणों का समाधान समय सीमा में होना चाहिए।
6 बजे संध्या तक प्रदाय का पुर्नस्थापन	कम से कम 90% प्रकरणों का समाधान समय सीमा में होना चाहिए।
5. निरंतरता मानक	
SAIFI SAIDI MAIFI	अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों के विरोपण के उपरान्त आयोग द्वारा निर्धारित किए जावेंगे।
6. आवृत्ति में परिवर्तन तथा वोल्टेज असंतुलन आवृत्ति में उतार–चढ़ाव	आपूर्ति का उतार–चढ़ाव 50 एच. जेड़ से का +/– 3% बनाए रखा जावे।
वोल्टेज असंतुलन	प्रदाय के प्रारंभिक बिन्दु पर अधिकतम 3%
7. पथ प्रकाश के दोष : लाइन दोषों का सुधार	कम से कम 90% प्रकरणों का समाधान समय सीमा में होना चाहिए ।
फ्यूज/दोषपूर्ण इकाइयों का प्रतिस्थापन (नगर कस्बे तथा ग्रामीण)	कम से कम 90% प्रकरणों का समाधान समय सीमा में होना चाहिए (स्थानीय संस्थाओं द्वारा सामग्री की उपलब्धता पर)
8. देयक त्रुटियॉ	< 1%
9. दोषपूर्ण प्रतिमापक	< 1.5% नगरीय क्षेत्रों में < 3% ग्रामीण क्षेत्रों में